



"प्रस्तुप 26"
(नियम 4क देखिए)



A.N. 834/14
25. १९८१

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) बीजगांव (व.) १४/व। (सदन का नाम) लोकसभा निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

मैं बीजगांव भाग-क
आयु ३६ वर्ष, जो २१४-८० १५/११/८१ - १५/११/८१
१५/११/८१ - ४५/१२/८१ (लाक का पूरा पता लिखें)
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं बीजगांव रा. भा. ८/२७८ (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक समतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।
(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 15/१५८ बीजगांव (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं ४२
के क्रम सं ९६१ पर प्रविष्ट है। बिहार

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ९६६१५४४४९६ है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) अमृत
है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पिन) के बारे और आर-कर विवरणी फाइल करने की प्रारंभिति :



क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरण। उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	APKPK458911	₹०/-	₹०/-
2.	पृथि या पल्ली	₹०/-	₹०/-	₹०/-
3.	आश्रित-1	₹०/-	₹०/-	₹०/-
4.	आश्रित-2	₹०/-	₹०/-	₹०/-
5.	आश्रित-3	₹०/-	₹०/-	₹०/-

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधी) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सकाम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधी) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यारे	₹०/-
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधी) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	₹०/-
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	₹०/-
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवरणी की गई	₹०/-
(ङ)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	₹०/-
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सकाम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं	₹०/-

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है / हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है प्रूर्वाक्त मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	₹०/-
(ख)	उन मामलों के ब्यारे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम	₹०/-



	(अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	३५/-
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	२५/-

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेग।

निम्नलिखित गामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	३५/-
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	२५/-
(ग)	अधिरोपित दंड	३५/-
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्तिति	३५/-

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और रथावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरें का मूल्य रटॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन रपटीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।



क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	५५,०००/-	२०,०००/-	३५/-	३५/-	३५/-
(ii)	बैंक खातों में जमा के बौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	८५,११४/- ८२,२५५/- १२,२१,५ १०६२,८१ १०३,११ १०३,११ १०१,१	४४,११५/- ४२,२५५/- २२,७४२,१४२,७ १६३,६४	३५/-	३५/-	३५/-
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंडरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के बौरे और रकम	३/-	३५/-	३५/-	३५/-	३५/-
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, वीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या वीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	५६/-	३५/-	३५/-	३५/-	३५/-
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	३५/-	३५/-	३५/-	३५/-	३५/-
(vi)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मैक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	३५/-	३५/-	३५/-	३५/-	३५/-
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान् वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के बौरे)	११,११,११ १२,६०२,११ १९०,०००/-	१०,११,४ १२,७७,५५ ६,२०,०००/-	१०,११,४ १२,७७,५५ ६,२०,०००/-	१०,११,४ १२,७७,५५ ६,२०,०००/-	१०,११,४ १२,७७,५५ ६,२०,०००/-
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य	३५/-	३५/-	३५/-	३५/-	३५/-
(ix)	समग्र कुल मूल्य	२६७०७५/-	६४०९६४/-	६२,०००/-	८८,०००/-	१८,०००/-

आ. स्थानीय आस्तियों के बौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	२६७०७५/-	३५/-	३५/-	३५/-	३५/-



	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	४५८	७५०४	७५०४	७५०४	७५०४
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	५१६८	२५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	—	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	३५८४/७५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	१०१११ ५५५७-५२७१	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	६५६५८८	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	५५६८८	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३५८४/०१२	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	१३८४/७५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	३०८४/७५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४

(iii)	वणिजिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	निर्भित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४
	विकास, संनिर्माण आदि के	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४	३५८४



(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	३०%	३०%	३०%	३०%	३०%
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	१०%	३०%	३०%	१०%	३०%
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	२०%	३०%	४०%	२०%	३०%
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	५०%	३०%	४०%	२०%	३०%
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	५०%	३०%	४०%	३०%	३०%
	आय-कर शोध्य	५०%	३०%	४०%	३०%	३०%
	घनकर शोध्य	५०%	३०%	४०%	३०%	३०%
	सेवाकर शोध्य	५०%	३०%	४०%	३०%	३०%
	नगरपालिका/ संपत्ति कर शोध्य	५०%	३०%	४०%	३०%	३०%
	विक्रयकर शोध्य	५०%	३०%	४०%	३०%	३०%
	कोई अन्य शोध्य	५०%	३०%	४०%	३०%	३०%
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	३०%	३०%	३०%	३०%	३०%

(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

(9) वृत्ति या उपजीविका के बौरे :

(क) स्वर्य ~~स्वर्य~~ १०७१

(ख) पति या पत्नी ३/३७

(10) मेरी शैक्षिक अहंता नीचे दिये अनुसार है :-

अनुसार है :-
लोटो नियम १०९९ लोटो १३९३

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रलम्प का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के बौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था का व्यूसा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीस्ती/ कु ० ८१६३/५४१
2	डाक का पत्तों	३७-८०९८८८१८०११५२



	माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	भूमि	मुद्रा	शेष	कुल	उन्नीस
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	भूमि	मुद्रा	शेष	कुल	उन्नीस
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवरिथिति (अवरिथितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	भूमि प्राप्ति — ५८२१८। ८९५३२।	मुद्रा — २०४ ८८२१८। ८९५३२।	शेष भूमि — २०४ ८८२१८। ८९५३२।	कुल भूमि — २०४ ८८२१८। ८९५३२।	उन्नीस — २०४ ८८२१८। ८९५३२।
	क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप)	८८०	८८०	८८०	८८०	८८०
	नियंत्रित क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप)	८८०	८८०	८८०	८८०	८८०
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	—	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	विकास, संनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२५८०/८८०	८८०	८८०	८८०	८८०
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	८८०	८८०	८८०	८८०	८८०

(8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यारे नीचे देता हूँ :-
 (टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	भूमि —	भूमि —	भूमि —	भूमि —	भूमि —
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	भूमि —	भूमि —	भूमि —	भूमि —	भूमि —
	कोई अन्य दायित्व	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	दायित्ववालों का कुल सोग	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि



3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	२५-८०/१५१, निकट			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अध्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	कुलग्राम पाली			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	७०४-			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन)	७०४-			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	३५०१-			
7		११८६ का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अध्यर्थी	APK/N/1894	७०४-	३००-	
	(ख) पति या पत्नी	२५०४	७०४-	७०४-	
	(ग) आश्रित	७०४	७०४-	७०४-	
8	आस्तियां और दायित्वों के बारे (लप्पे में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	२,६७,०७४/-	६४,०९६/-	६२,०००/-	५६,०००/-
ख	स्थावर आस्तियां	-	-	-	-
L	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	१८८८८८/-	७०४-	७०४-	७०४-
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	७०४/-	७०४-	७०४-	७०४-



II 1.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विवासती आस्तियां (कुल मूल्य)	30 ल/।७०	भु००	भु००	भु००	भु००
9	दायित्व	भु००	भु००	भु००	भु००	भु००
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	भु००	भु००	भु००	भु००	भु००
	(ii) वैकं, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	भु००	भु००	भु००	भु००	भु००
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	भु००	भु००	भु००	भु००	भु००
	(ii) वैकं, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	भु००	भु००	भु००	भु००	भु००
11	उच्चतम शिक्षक अहंता : ५००० २१२/४५५ २१२/५५५/१७३ २१२/४५५ २१२/१९९					
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का बौरे दें।)					

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वरतु मेरी सर्वोत्तम ज्ञानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग गिर्धा नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्प्रकार तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आक्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख २५.२.०१७ को सत्यापित किया गया।

२५.२.०१७
अभिसाक्षी

Rajesh Kumar
Identified by Advocate
K.K. Joshi
Advocate has been informed in
presence of my witness

74.11

२५.२.०१७



टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जा सकता है।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक अधिकारी के समक्ष ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित 'शून्य' या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण -5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी, द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिये गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मारक देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'झात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मारक दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं....."

मेरा ई-गेल आईडी¹⁰ (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....